



2026:AHC: 16917

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट सी संख्या- 43291/2025

हुकुम कौर और 16 अन्य

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: महेंद्र कुमार यादव
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- 1- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं में से एक, याचिकाकर्ता संख्या 10, अतारो द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी अधिकारी (वाद), बुलंदशहर द्वारा तहसीलदार सिकंदराबाद, बुलंदशहर से पत्र दिनांक 24.05.2024 के माध्यम से आख्या मांगी गई थी। यह तर्क दिया गया है कि तब से अब तक मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
- 2- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, तहसील सिकंदरा (सिकंदराबाद), बुलंदशहर मामले में शीघ्रता से निर्णय लेंगे।
- 3- पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
- 4- वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में और वाद के गुण-दोष पर गौर किए बिना, वर्तमान याचिका का निस्तारण प्रत्यर्थी संख्या 3/उप जिलाधिकारी, तहसील सिकंदरा (सिकंदराबाद), बुलंदशहर को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रभारी अधिकारी (वाद), बुलंदशहर द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 24.05.2024 के अनुसार संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट मंगाने और मामले में अत्यंत शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश देते हुए किया जाता है, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।
- 5- यदि मामले में निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 तत्काल निर्णय की एक प्रति याचिकाकर्ता संख्या 10 को प्रेषित करेंगे।

22 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सकलेन

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।